BRBJ010076642024

SC/ST Case no. 56/2024
(शाहपुर थाना काण्ड संख्या 554 सन् 2023)

सूचक	राज्य द्वारा :– फुलझरी देवी पति लंगड़ डोम, ग्राम– सरना, थाना– शाहपुर, जिला– भोजपुर।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ से :– श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक ।
अभियुक्तगण	1. जय प्रकाश साह पेसर– बवन साह उम्र करीब 56 वर्ष, साकिन– सरना, थाना– शाहपुर, जिला– भोजपुर।
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्तगण की ओर से :– श्री अष्टभुज पांडे, विद्वान अधिवक्ता।

घटना की तिथि	09.11.2023
प्राथमिकी की तिथि	03.12.2023
आरोप पत्र की तिथि	10.03.2024
आरोप विरचना की तिथि	02.07.2025
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	01.04.2026
निर्णय तय करने की तिथि	04.04.2026
निर्णय की तिथि	04.04.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	-------------

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
ए–1	जय प्रकाश साह	18.12.23	18.01.24	धारा 341, 323, 504, 506,/34 भा0द0वि0 एवं 3 (1)(r) (s)/3(2) (va) SC/ST Act	दोषमुक्त	–	–

निर्णय

1. प्रसतुत वाद में अभियुकतगण जय प्रकाश साह के विरूद्ध अंतग्रत धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(r)(s)/3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम 1989 के लिये विचारण किया गया है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचक फुलझरी देवी दिनांक 09.11.2023 को समय 1 बजे रात्री में अचानक अभियुक्त जय प्रकाश साह पिता बवन साह ग्राम –सरना, थाना – शाहपुर, जिला भोजपुर आये तथा सर पर ईंट चलाकर सर फोड़ दिये जिससे सर फुट गया तथा खून गिरने लगा। हल्ला पर सूचक के पति आये तथा जय प्रकाश साह को पकड़ने का प्रयास किये तो भाग गए तथा दिनांक 03.12.2023 को धमकी दिए कि तुम्हे जान से मार देंगे तुम कुछ नही कर पाओगी।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर शाहपुर थाना कांड संख्या – 554/23 दिनांक 03.12.2023 अंतर्गत धारा 341,323,504,506, भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(r)(s)/3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अधीन अभियुक्तगण (1) जय प्रकाश साह के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पश्चात् अभियुक्तगण (1) जय प्रकाश साह के विरूद्ध घटना को सत्य पाकर पूरक आरोप पत्र संख्या 72/24 दिनांक 10.03.2024 अंतर्गत धारा 341,323,504,506, भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(r)(s)/3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के दण्डनीय अपराध में न्यायालय में समर्पित किया गया। इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 24.05.2024 को अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण (1) जय प्रकाश साह के विरूद्ध दिनांक 02.07.2025 को धारा 409/34 भा0द0वि0 एवं धारा धारा 341,323,504,506, भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(r)(s)/3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 में आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप अभियुक्तगणों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर अभियुक्तगणों द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

4.4.2026

5. इस मामले में अभियोजन साक्षीयों के परीक्षण के उपरांत, न्यायालय द्वारा धारा– 313 दंड प्रकिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्तगण जय प्रकाश साह का बयान दिनांक 01.04.2026 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने को निर्दोष बताया।

6. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगणों के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है?

मंतव्य

7. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल 02 साक्षीयों यथा अभियोजन साक्षी संख्या 1. फुलझरी देवी, अभियोजन साक्षी संख्या 2. अशोक यादव, अभियोजन साक्षी संख्या को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या 1. फुलझरी देवी ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं अनुसूचित वर्ग अंर्तगत डोम जाति से आती है। तथा वह सूचक है घटना दो –ढ़ाई वर्ष पहले की कार्तिक महिना था, अचानक अभियुक्त जय प्रकाश साह आये तथा उसके सर पर ईंट चलाकर मारे जिससे उसका सर फुट गया तथा खून बहने लगा। हल्ला पर इनके पति आये और अभियुक्त जय प्रकाश साह को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भाग गया। साक्षी का आगे कथन है कि लगभग 20–25 दिन बाद भी अभियुक्त जय प्रकाश साह धमकी दिया कि जान से मार दूँगा। तब इस घटना को लेकर सूचिका ने शाहपुर थाना में लिखित आवेदन दिया तथा उसके पति लंगर डोम गवाह के रूप में अंगूठा का निशान बनाया।

इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि इस केस में दरोगा जी क्या लिखे, ये हमको पढ़कर नही सुनाये थे तथा सादा पेज पर अंगूठे का निशान लगाया था तथा जय प्रकाश साह का नाम कैसे लिखा जानकारी नही है। आगे प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि जय प्रकाश मेरे ग्रामीण है जिस कारण पहचानती हूँ तथा जय प्रकाश साह ने कभी उसके साथ मारपीट नही किया है तथा दोनो परिवार में अच्छा संबंध है।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 2. अशोक यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 09.11.2023 को 11 बजे रात्रि में जय प्रकाश साह ने पत्थर फुलझरी देवी के सर पर चला दिया, जिससे उसका सर फट गया। इस साक्षी ने जय प्रकाश साह को पहचानती है। इस साक्षी ने जय प्रकाश साह का पहचान किया है। इस साक्षी ने अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षण मे पुछे गए प्रश्न में कथन किया है कि वह नवंबर 2023 में दिल्ली को दिल्ली में थें। तथा घटना के बारे में जानकारी नही है एवं पुलिस में बयान नही हुआ था।

4.4.2026

10. इस मामलें में राज्य की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक द्वारा अंतिम बहस में कहा गया कि अभियोजन पक्ष सूचक के साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त पर आरोपित आरोंपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः उनके द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

11. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का अंतिम बहस में कहना है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 02 साक्षीयों को परीक्षित कराया है। अभियोजन साक्षी सूचक व अन्य साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नही किया गया है। प्रस्तुत मामला साक्ष्य विहिन है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना करते है।

परिशीलन (Discussion)

12. उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

13. आपराधिक विधि का यह स्थापित नियम है कि अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है। इस संबंध में अभियोजन पर अपने मामले को सिद्ध करने का उतना ही भार रहता है, जितना एक व्यक्ति उस पर युक्तियुक्त विश्वास कर सके, इससे अधिक नही।

14. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से दर्शित है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा सूचक सहित कुल 02 साक्षीयों को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में प्रस्तुत करा परीक्षित नही कराया है।

अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्षी संख्या 1 व 2 की साक्ष्य समीक्षा से दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है, मैं अनुसूचित वर्ग अंर्तगत डोम जाति से आती है। तथा वह सूचक है घटना दो –ढ़ाई वर्ष पहले की कार्तिक महिना था, अचानक अभियुक्त जय प्रकाश साह आये

तथा उसके सर पर ईंट चलाकर मारे जिससे उसका सर फुट गया तथा खून बहने लगा। हल्ला पर इनके पति आये और अभियुक्त जय प्रकाश साह को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भाग गया। साक्षी का आगे कथन है कि लगभग 20–25 दिन बाद भी अभियुक्त जय प्रकाश साह धमकी दिया कि जान से मार दूँगा। तब इस घटना को लेकर सूचिका ने शाहपुर थाना में लिखित आवेदन दिया तथा उसके पति लंगर डोम गवाह के रूप में अंगूठा का निशान बनाया। इस साक्षी का मुख्य परीक्षण में दिया गया साक्ष्य स्थिर नही रहा तथा बिखंडित होना पाता है। अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने अशोक यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 09.11.2023 को 11 बजे रात्रि में जय प्रकाश साह ने पत्थर फुलझरी देवी के सर पर चला दिया, जिससे उसका सर फट गया। इस साक्षी ने जय प्रकाश साह को पहचानती है। इस साक्षी ने जय प्रकाश साह का पहचान किया है। इस साक्षी ने अभियुक्त की ओर से प्रतिपरीक्षण मे पुछे गए प्रश्न में कथन किया है कि वह नवंबर 2023 में दिल्ली को दिल्ली में थें। तथा घटना के बारे में जानकारी नही है एवं पुलिस में बयान नही हुआ था।

4.4.2024

15. इस प्रकार समग्र समीक्षा से पाता हूँ कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 से 2 साक्ष्यविधि की दृष्टि में महत्वहीन है तथा प्रस्तुत मामला साक्ष्य विहीन है।

16. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक समीक्षा के उपरांत यह पाता हूँ कि चूंकि आपराधिक मामले में सबुत का भार सदैव अभियोजन पर होता है एवं आपराधिक मामले में जितना गंभीर अपराध हो, उतना ही स्पष्ट एवं कठोर साक्ष्य आना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त आपराधिक विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि संदेह कितना भी प्रबल क्यो न हो, वह सबुत का स्थान नहीं ले सकता। इसी प्रकार यह भी सुस्थित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना सही होता है। अतएव यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्त जय प्रकाश साह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3 (1)(r)(s) / 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त जय प्रकाश साह को साक्ष्य के अभाव में आरोपित धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3 (1)(r)(s) / 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अपराध से उन्हें संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

17. उपस्थित अभियुक्तगण जय प्रकाश साह जमानत पर है। अतः उसे उसके जमानत व बंधपत्र के सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

Shailendra Ku. Panda
(शैलेन्द्र कुमार पांडा) 4.4.2024
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोजपुर, आरा।

लेखापित

Shailendra Kumar Panda 4.4.2024
(शैलेन्द्र कुमार पांडा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोजपुर, आरा।